नगर निगमः संक्षिप्त परिचय

*डॉ. लतिका चंदेल

शोध सारांश

भारत में नगर निगम, स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था हैए औधोगिकीकरण के कारण नगरों का विस्तार न केवल अत्यंत तीव्र गति से हुआ है, अपितु नगरों की जनसँख्या उनकी भूमि सीमा की क्षमता से कही अधिक मात्रा में गहन रूप से बढ़ गई है, उन्हें महानगरों की श्रेणी में रखा जाता है इन महानगरों की स्थानीय समस्याओ के समाधान हेतु नगर निगम को स्थापना की जाती है।

हार्ड वर्ड :

क्रियान्वयन, सभासद, पंजीकृत, नामांकन, निर्वाचक नामावली वित्तीय क्षेत्र ।

भारत में नगरीय प्रशासन

नगर निगम एक स्थानीयशासी निकाय के लिए वैधानिक संस्था होती है, जो शहर, कस्बों, बस्ती गाँवों और नगर सहित स्थलों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है । नगर निगम शहर के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और संबंधित प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली का आधार जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। अतः सरकार अपने कार्य और शक्तियों का विभाजन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कहीं ग्राम पंचायत, कहीं जनपद पंचायत, कहीं जिला पंचायत, तो कहीं नगरपालिका व नगर निगम बनाकर करती है।

नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा अन्य शहरों के लिए है सह सम्बन्धित राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संविधान (संसद) के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक सामान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक के लिए भिन्न भी हो सकता है।

नगर निगम में एक परिषद् और उसकी कुछ सहायक समितियां होती है। जिनमे से कुछ को अंतिम निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है। भारत में नगर निगमो की संरचना के प्रमुख अंग है निगम परिषद , महापौर (मेयर), समितियां, नगर निगम आयुक्त।

निगम परिषद् :

परिषद् नगर निगम का महत्वपूर्ण अंग है परिषद् की गरिमा और शक्तिया इतनी व्यापक होती है की इसको ही नगर निगम के नाम से जाना जाता है परिषद् एक प्रकार से स्थानीय विधान सभा है जो स्थानीय शासन के सम्बन्ध में जनता की इच्छा को प्रकट करती है। और नगरीय विधि का रूप धारण कर लेती है। परिषद् में नगर के निर्वाचित सदस्य होते है वह पार्षद कहलाते है ये पार्षद 5 वर्ष के लिए चुने जाते है। नगर निगम का गठन पंचायतीराज व्यवस्था के अधिनियम 1835 के अंतर्गत किया जाता है। जो शहरों की आवश्यक सामुदायिक सेवाएं प्रदान करते है। नगर को विभिन्न वार्डो के रूप में बाँट कर, प्रत्येक वार्ड से पार्षद का निर्वाचन सम्पन्न किया जाता है। निगम परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है ।

महापौर (मेयर) :

भारत में महापौर को भिन्न भिन्न नामो से जाना जाता है जैसे मेयर, निगमाध्यक्ष, नगर पंचायत प्रमुख इत्यादि। नगर

निगम में कार्यपालिका शक्तियाँ मेयर के अंतर्गत होती है वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, और उसके व्यक्तित्व तथा गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है ।

समितियां :

नगर निगम में समिति सर्वोच्च स्थानीय निकाय है , जैसे राज्य की विधानसभा तथा उसी प्रकार कार्यो का संपादन , समितियां दो प्रकार की होती है 1) संवैधानिक समितियां 2) गैर संवैधानिक समितियां

संवैधानिक समितियों का गठन निगम अधिनियम अंतर्गत स्पष्ट है की , जिसके द्वारा निगम का गठन हुआ है। समितियां प्रत्येक नगर निगम में बनाई जानी आवश्यक है इनके गठन , शक्तियाँ , और कार्यो का उल्लेख है ।

गैर संवैधानिक समितियों का गठन परिषद् द्वारा अपने 50 उप नियमो के प्रावधान अनुसार किया जाता है परिषद् अपने कार्यो के सुगम क्रियान्वयन हेतु इनका गठन करती है ये कार्यो में परिषद् की सहायता करतीहै ।

आयुक्त :

निगम आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है । इसे भिन्न भिन्न नामो से जाना जाता है जैसे आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , कमिश्नर इत्यादि ।

अधिनियम में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन आयुक्त द्वारा किया जाता है , नगर निगम एक विधायी निकाय है जो नगर के प्रशासन हेतु निति निर्धारण करताहै , निगम की नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वित करना आयुक्त का अहम् कार्य है ।

निर्वाचन प्रक्रिया

नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किए गए मतदान के माध्यम से किया जाता है। ये चुनाव शहर के एक विशेष वार्ड में आयोजित किए जाते है। अपने वार्ड के लिए प्रतिनिधि या सभासद का चुनाव एक निजी वार्ड की निर्वाचक नामावली के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वार्ड में निर्वाचक नामावली वार्ड के क्षेत्र के आधार पर एक या कई हिस्सों में विभाजित है जिसके प्रत्येक भाग में मतदाता रहते हैं।सभी हिस्सों के मतदाता एक साथ विशेष वार्ड के चुनावी तालिका बनाते हैं।नगर निगम चुनाव लड़ने की अहर्ताएं एक व्यक्ति नगर निगम के लिए चुनाव लड़ सकता है यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करें:

- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी उम्र 21 साल की हो चुकी हो।
- उसका नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो।
- नगर निगम के चुनाव को लड़ने के लिए उसे पहले कभी भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
- वह भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

नगर निगम की कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म में, श्रेणी, जाति या जनजाति जिससे वह संबंधित हो, के विवरण की जानकारी को भरा जाना भी अनिवार्य है। यदि सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार के महिला होने का घोषणापत्र दिया जाना चाहिए।

परिषद् की भूमिका और कर्तव्य

नगर निगमों के तहत सभासदों को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना पड़ता हैं:

जिसे उस क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनती है, एक पार्षद के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छी नागरिक सेवा प्रदान करना होता है, तथा जनता की समस्याओं को परिषद् में विचार– विमर्श के लिए पेश करना होता है द्यपूरी तरह से नगर पालिका के कल्याण और हितों के लिए कार्य करना

परिषद की बैठकों, परिषद समिति की बैठकों और अन्य संबंधित निकायों की बैठकें में भाग लेना।
नगर पालिका के कार्यक्रमों और नीतियों के विकास और मूल्यांकन में भाग लेना।
नगर पालिका के संचालन और प्रशासन के बारे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से समस्त जानकारी प्राप्त करना।
आवश्यक कर्तव्यों को पालन करना।

नगर निगम का कार्यकाल

नगर निगम का कार्यालय अपनी पहली बैठक की शुरुआत से पांच साल की अवधि चलता है। नीचे दी गई ये कुछ परिस्थितियां इसके विघटित होने का विषय है:

- यदि राज्य को निगम के कर्तव्यों में लापरवाही प्रतीत होती है।
- यदि राज्य को ऐसा लगता है कि निगम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है।
- राज्य में नगरपालिका चुनाव रद्द करने या नगर निगम के संचालन से वार्ड के पूरे क्षेत्र को वापस लेने की घोषणा।

नगर निगम के कार्य

नगर निगम राज्य सरकार के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय से काम करता है। नगर निगम उस जिले ६ क्षेत्र के लोगों को जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है वे सेवाएं निम्न लिखित हैं:

- अस्पताल, जलापूर्ति, जलनिकास, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड्स सड़कें ठोस अपशिष्ट, सड़को पर बिजली की व्यवस्था, पार्क, शिक्षा क्षेत्र , जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरणनिर्माण और सार्वजनिक सड़कों का रखरखाव ,सार्वजनिक प्रकाश और सार्वजनिक सड़कों सार्वजनिक पार्कों, बागीचों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, आराम घर, कुष्ठरोगी घर, अनाथालयों, महिलाओं के लिए वृद्धाश्रमों व बचाव घरों का निर्माण एवं रखरखाव
- सड़क के रखरखाव के साथ उसके किनारों व अन्य स्थानों पर पेड़ों का रोपण
- सार्वजनिक स्वागत, सार्वजनिक प्रदर्शनियों एवं सार्वजनिक मनोरंजन का आयोजनय नगर पालिका द्वारा परिवहन सुविधाओं का प्रावधान
- सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नाली की सफाई
- प्राथमिक स्कूलों की स्थापना एवं रखरखावय सार्वजनिक अस्पतालों का रखरखाव या समर्थन
- जन्म व मृत्यु का पंजीकरणय सार्वजनिक गलियों, पुलों एवं अन्य स्थानों पर अवरोधों को दूर करना
- निम्न आय वर्ग के लिए आवास
- नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण के लिए संवर्धन
- सार्वजनिक पार्कों, बागीचों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, आराम घर, कुष्ठरोगी घर, अनाथालयों, महिलाओं के लिए वृद्धाश्रमों व बचाव घरों का निर्माण एवं रखरखाव
- सर्वेक्षणों का आयोजन

***विभाग अध्यक्ष**
विभाग लोक प्रशासन
एस.एस.जैन सुबोध महिला कॉलेज,
जयपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 9

2. एस। आर निगम, लोकल गवर्मेंट, एस चाँद एण्ड क नई दिल्ली, 1987 पृ 193–94
3. भारत का संविधान, 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, अनुच्छेद 243 (1)
4. प्रतिवेदन, प्रथम राज्य वित्त आयोग , राजस्थान 1995 पृ 154
5. वार्षिक प्रतिवेदन, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर 2001–10
6. श्रीराम माहेश्वरी, लोकल गवर्मेंट इन इंडिया, ओरिएण्टल लोंगमेन, नईदिल्ली 1976,पृ 16
7. भारत सरकार 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
8. भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2005
9. एस. आर. माहेश्वरी, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा –2006
10. अशोक शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर –2005
11. एस. आर. माहेश्वरी, Evaluation of Indian Administration लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा–1970